कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन

कमांक 5575-99 टी0आई–3 दिनांक 17-1-14

विषयः– हरियाणा राज्य के मूक–बधिरों को सीट आरक्षित करने बारे परिचालकों की मनमानी के कारण हो रही परेशानी की बाबत व सीट आरक्षित करने वाले परिचालक को उचित दिशा निर्देश देने बारे।

हरियाणा मूक एंव बधिर कल्याण संघ द्वारा इस कार्यालय को मूक एंव बधिर व्यक्ति द्वारा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान आ रही कठिनाईयों बारे अवगत करवाया है। मूक एंव बधिर व्यक्तियों को राज्य परिवहन की बस सेवाओं में यात्रा के दौरान आ रही कठिनाईयों को दूर करने व उनका पूर्ण मान–सम्मान तथा मनोबल बनाए रखने के लिए निम्न प्रकार से हिदायतें जारी करने के निर्देश दिए जाते है। इस बारे शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लानी भी सुनिश्चित की जाए।

1. जब भी कोई मूक एंव बधिर व्यक्ति राज्य परिवहन की बस में सफर के दौरान सीट की मांग करता है तो उसे comfortable सीट उपलब्ध करवाई जाए।
2. कल्याण संघ द्वारा यह भी अवगत करवाया गया है कि मूक एंव बधिर व्यक्ति या महिला को comfortable सीट न उपलब्ध होने के कारण साथ का यात्री उसकी विकलांगता की कमजोरी के कारण उससे छेडछाड करने की कोशिश करते है। जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नही करती। इसलिए उन्हें हर संभव comfortable सीट ही उपलब्ध करवाई जाए।
3. मूक एंव बधिर व्यक्ति को यात्रा के दौरान बस की अगले दरवाजे के पास सीट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए।
4. मूक एंव बधिर व्यक्ति को अगले दरवाजे के पास सीट उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि वह अपनी केवल आंखो पर निर्भर होते हैं।
5. बस अड्डों पर अग्रिम बुकिंगकर्ता को भी मूक एंव बधिर व्यक्ति को comfortable सीट ही उपलब्ध करवाएं व बस चालक मूक एंव बधिर व्यक्ति के उतरने के स्थान पर निर्धारित बस स्टाप पर ही बस रोकें।

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ
17/1/14

पृ0 कमांक /टी0आई–3 दिनांक

इसकी प्रति को श्री योगेश वर्मा, प्रधान, 5/107, शिवाजी नगर, गुडगाव-122001 हरियाणा को सूचनार्थ प्रेषित है।

Sd/
कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ